राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर

क्रमांकः– मुख्या/कार्मिक/प्रशा.सु./2020/ 90 दिनांकः 17-4-2020

आदेश

कोविड–19(Covid–19) महामारी के मद्धेनजर गृह(ग्रुप–9) विभाग के आदेश क्रमांक प.33(2)गृह–9/2019 दिनांक 15.04.2020 द्वारा पूर्व में दिनांक 25.03.2020 से 14.04.2020 तक समस्त प्रदेश में पूर्णतः बन्द (Lock Down) को दिनांक 03.05.2020 तक बढा दिया गया है। साथ ही दिनांक 20.04.2020 से 03.05.2020 तक मोडिफाईड लॉकडाउन लागू किया गया है। मोडिफाईड लॉकडाउन के क्रम में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति के संबंध में निम्न निर्देश जारी किए जाते हैः–

1. समस्त विभागाध्यक्ष एवं मुख्यालय के समस्त अधिकारी (कार्यकारी प्रबन्धक/सहायक लेखाधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी के पद का कार्य करने वाले कार्मिक सहित), समस्त आगारों के मुख्य प्रबन्धक एंव प्रबन्धक (प्रशासन/संचालन/वित्त/यातायात एवं पारी प्रभारी), समस्त केन्द्रीय कार्यशालाओं के मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/उत्पादन प्रबन्धक/सहायक लेखाधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय भण्डार/टायर प्लांट में पदस्थापित समस्त अधिकारी (पारी प्रभारी सहित) नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित होंगे।

2. मुख्यालय के सभी विभागों, समस्त आगारों एवं अन्य ईकाईयों में एक तिहाई मंत्रायलिक कर्मचारी बारी–बारी (Rotationwise) से कार्यालय में उपस्थित होंगे। उक्त सीमा में बारी–बारी (Rotationwise) से कार्यालय में उपस्थित होने के लिये कर्मचारियों के नाम सहित आदेश संबंधित विभाग/आगार/ईकाई द्वारा अपने स्तर पर जारी किए जाकर इस विभाग को भी अवगत करवाया जायेगा।

3. जिन कर्मचारियो को रोटेशन के आधार पर जिस दिन कार्यालय में उपस्थित नही होना है उस दिन उनकी स्थिति घर से कार्य (Work From home) करने की होगी तथा वे दूरभाष पर उपलब्ध रहेंगे एंव आवश्यकता होने पर उन्हे कार्यालय बुलाया जा सकता है।

4. इस दौरान किसी भी कार्मिक को विशेष या अपरिहार्य स्थिति के अलावा कोई अवकाश या मुख्यालय छोडने की अनुमति नही होगी।

5. मुख्यालय/आगारों/ईकाइयो में पदस्थापित अधिकारी एवं कर्मचारी जो कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में अथवा कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्र मे रहते है, को आगामी आदेश तक कार्यालय में उपस्थित होने की अनुमति नही है। इसे संबंधित विभाग/आगार/ईकाई भी अपने स्तर पर सुनिश्चित करेंगे।

6. कार्यालय में उपस्थित होने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यालय में कोरोना से बचाव हेतु सामाजिक दूरी (Social Distancing) संबंधी मापदण्डो का सख्ती से पालन करेंगे तथा अनिवार्य रूप से मास्क पहनेंगे।

Scanned by CamScanner

7. इस दौरान मुख्यालय/ईकाइयों में बडी बैठक जिसमें 10 से अधिक अधिकारी / कर्मचारी शामिल होने की संभावना हो आयोजित नही की जावेगी।

8. मोडिफाईड लॉकडाउन के दौरान आमजन का मुख्यालय में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

9. सभी विभाग/आगार/ईकाई मुख्यावास जिले से बाहर गये एवं कर्फयूग्रस्त क्षेत्र में रहने वाले कार्मिकों की सूची दिनांक 22.04.2020 तक आवश्यक रूप सें मुख्यालय को प्रेषित करेंगे।

कोविड–19(Covid–19) से सुरक्षा एवं बचाव हेतु राज्य सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा राजकोविड (RAJ COVID INFO) इंफो तथा भारत सरकार द्वारा आरोग्य सेतु एप (AAROGYA SETU) विकसित किया गया है । सभी अधिकारियों / कर्मचारियों को उक्त एप अपने मोबाईल पर डाउनलोड करने तथा कोरोना के बचाव हेतु इसका उपयोग करने हेतु निर्देशित किया जाता है ।

अतः मुख्यालय के सभी विभाग दिनांक 20.04.2020 से मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान कोरोना से बचाव संबंधी चिकित्सकीय मापदण्डों का पालन एवं उपर्युक्तानुसार उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए राजकीय कार्य सम्पादित करेंगें।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

17/4/2020
(एम.पी.मीना)
कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

क्रमांकः– मुख्या/कार्मिक/प्रशा.सु./2020/90 दिनांकः 17-4-2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय,जयपुर
2. समस्त विभागाध्यक्ष, रापनि, मु. जयपुर
3. समस्त महा प्रबन्धक ( ),रापनि,.......................
4. उप महा प्रबन्धक ( )/सचिव निगम, रापनि,मुख्यालय,जयपुर ।
5. सचिव निगम, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय,जयपुर ।
6. समस्त कार्यकारी प्रबन्धक ( ),रापनि,.........................
7. प्रभारी केन्द्रीय कंट्रोल रूम, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय,जयपुर ।
8. समस्त जोनल मेनेजर, राजस्थान परिवहन निगम,..............................
9. समस्त मुख्य उत्पादन प्रबन्धक,राजस्थान परिवहन निगम, केन्द्रीय कार्यशाला,...................
10. समस्त मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (प्रशासन/संचालन/वित्त/यातायात) रापनि राजस्थान
11. आदेश पत्रावली ।

17/4/2020
(ममता यादव)
उप महा प्रबन्धक (प्रशासन)

Scanned by CamScanner